MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
CSIR-CENTRAL BUILDING RESEARCH INSTITUTE ROORKEE
(A Constituent Laboratory of CSIR)
AND
RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY, KOTA

सीएसआईआर – केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रूड़की
(सीएसआईआर की संघटक प्रयोगशाला)
तथा
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा,
के बीच
समझौता ज्ञापन

This Memorandum of Understanding (MoU) is executed on April 28, 2016.
यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिनांक : अप्रैल.28, 2016 से निष्पादित किया जाता है।

Between

Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), which is a Society registered under the Indian Societies Registration Act XXI of 1860 with its Registered Office at Rafi Marg, New Delhi – 110001, INDIA acting through its CENTRAL BUILDING RESEARCH INSTITUTE ROORKEE, India (hereinafter referred as CBRI), which is one of the constituent National Laboratories under CSIR of the FIRST PART.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर), जो कि भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के XXI के तहत पंजीकृत सोसायटी है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय, अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001 भारत है, यह केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रूड़की, भारत (उसके पश्चात इसे सीबीआरआई कहा जाएगा), जो कि सीएसआई आर के अधीन संघटक राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है तथा जो इस समझौता ज्ञापन का प्रथम पक्ष है।

तथा

and

Rajasthan Technical University, Rawatbhata Road, Kota (herein referred RTU) represented by the Registrar, which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, include its successor in office and permitted assigns) on the SECOND PART.

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा कुलसचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। (उसके पश्चात इसे आगे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कहा जाएगा) जो कि समझौता ज्ञापन का द्वितीय पक्ष है।

PREMABLE

WHEREAS, CBRI is engaged in research, design, development and consultancy in the field of Engineering, Technology, Material Science and Architecture & Planning.

WHEREAS, RTU which is charged with the responsibility of training technical manpower in different areas of Engineering, including Civil Engineering, Technology, Architecture Science and Management is also contributing to the rapidly growing scientific and

technological knowledge and professional excellence in S&T by undertaking industrial and applied research and consultancy,

Whereas, both CBRI and RTU now,

- Recognizing the importance of research and development in the areas of Building Science, Engineering Sciences, Engineering Geology, Material Science and Architecture & Planning.
- Appreciating the need for creation of large reservoir of highly qualified manpower in all fields related to Building Science and Technology including Structural Engineering, Engineering Geology, Geotechnical Engineering, Material Science and Architecture & Planning.
- Desiring to enhance their efforts by joining their expertise and resources.

INTEND to form a Synergistic Framework for promoting development and growth of excellent quality manpower in the fields of Engineering, Technology and Science with a focus on Civil Engineering, Building Science, Engineering Geology and other branches of Engineering, Technology and Science.

NOW, THEREFORE in consideration of the mutual promises made therein and of good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which both CBRI and RTU hereby acknowledge, CBRI and RTU hereby agree as under:

प्रस्तावना

अतः सीबीआरआई इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, सामग्री विज्ञान तथा वास्तुकला एवं नियोजन के क्षेत्र में अनुसंधान, अभिकल्प तथा विकास व परामर्शी सेवाएं प्रदान करती हैं। अतः राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, सिविल इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, विज्ञान एवं प्रबंधन सहित इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी श्रमशक्ति के प्रशिक्षण के दायित्व का प्रभार है तथा औद्योगिक तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान व परामर्शी सेवाओं के दायित्व को वहन करके तेजी से बढ़ रहे वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी ज्ञान तथा इसमें उत्कृष्टता में भी योगदान कर रही है। अतः सीबीआरआई तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय दोनों,

- भवन विज्ञान, इंजीनियरी विज्ञान, भू–विज्ञान इंजीनियरी, सामग्री विज्ञान तथा वास्तुकला एवं नियोजन के क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के महत्व को पहचान रही है।
- रचना इंजीनियरी, भू–विज्ञान इंजीनियरी, भू–तकनीकी इंजीनियरी, सामग्री विज्ञान तथा वास्तुकला एवं नियोजन सहित निर्माण विज्ञान व प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित जनशक्ति का व्यापक भंडार तैयार करने की आवश्यकता को स्वीकार रही है।
- अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को समामेलित कर अपने प्रयासों को बढ़ाने की इच्छुक है।

सिविल इंजीनियरी, निर्माण विज्ञान, भू–विज्ञान इंजीनियरी तथा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान की अन्य शाखाओं पर विशेषरूप से केन्द्रित होकर इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट गुणवत्ता की जनशक्ति को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी कार्य का खाका तैयार करने की सोच रही है।

अतः इसमें किए गए, पारस्परिक वायदों पर विचार के प्रतिफल स्वरूप तथा सद्भावपूर्ण मूल्यवान विचारण की उपाप्ति तथा पर्याप्तता से सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय दोनों एतद्द्वारा अभीस्वीकृत करते हैं तथा सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एतद्द्वारा निम्नवत सहमत हैं:

ARTICLE –I: SCOPE OF THE MOU

This MoU details the modalities and general conditions regarding collaboration between CBRI and RTU for enhancing, within the country, the availability of highly qualified manpower in the area of Civil Engineering, Building Science and Technology, Engineering Geology, Architecture & Planning and other area of Engineering, Technology and Science without any prejudice to prevailing rules and regulations in CSIR/CBRI and RTU and without any disregard to any mechanism evolved and approved by the competent authorities under Govt. of India in so far as such mechanism applies to CSIR/CBRI and/or RTU. The areas of cooperation can be extended through mutual consent.

अनुच्छेद– I: इस समझौता ज्ञापन का क्षेत्र

इस समझौता ज्ञापन में देश के भीतर सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के बीच सहयोग के तौर–तरीकों तथा सामान्य शर्तो का विवरण है। जिसमें सिविल इंजीनियरी, निर्माण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, भू–विज्ञान इंजीनियरी, वास्तुकला एवं नियोजन के क्षेत्रों तथा इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में बिना किसी पूर्वाग्रह के सीएसआईआर/सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय पर लागू तंत्र में प्रचलित नियमों और विनियमों की उपेक्षा के बिना उच्चतर जनशक्ति की उपलब्धता को बढ़ाना है। सहयोग के क्षेत्रों को पारस्परिक सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

ARTICLE –II: SCOPE OF ACADEMIC INTERACTION

CBRI and RTU shall encourage interaction between the CBRI Scientists and RTU faculty members and students through the following arrangements.

a) Organization of joint conferences and seminars
b) Practical training of RTU students at CBRI
c) Joint guidance of student projects/theses in Structural Engineering, Seismic Micro-zonation, Geotechnical Engineering, Environment Engineering, Building Science & Technology, Architecture & Planning, Engineering Geosciences and other areas of mutual interest at RTU or at CBRI by CBRI Scientists and faculty of RTU as per rules and regulations of RTU and CBRI
d) Participation of CBRI Experts in RTU programs and events as well as participation of Faculty and Students of RTU to participate in research programs and events of CBRI based on mutual agreement and approvals of both organizations as appropriate.
e) Initiation of collaborative research and submission of joint project proposals by CBRI and RTU to external funding.

अनुच्छेद– II : शेक्षणिक विचार –विनिमय का क्षेत्र

सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा निम्नलिखित व्यवस्था के माध्यम से सीबीआरआई के वैज्ञानिको और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संकाय सदस्यों और छात्रों के बीच विचार–विनियम निम्नानुसार प्रोत्साहित करेगा:

(ए) संयुक्त रूप से सम्मेलन और सेमिनार का आयोजन
(बी) सीबीआरआई में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के छात्रों का व्यावहारिक प्रशिक्षण

(सी) सीबीआरआई के वैज्ञानिको तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संकाय सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप में संरचना इंजीनियरी, भू–तकनीकी इंजीनियरी, पर्यावरण इंजीनियरी, भवन निर्माण विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, वास्तुकला इंजीनियरी, इंजीनियरिग भू–विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों के आपसी हित के क्षेत्रों में छात्र परियोजनाओं/थीसिस के मार्गदर्शन राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय तथा सीबीआरआई के नियमों व विनियमों के अनुसार करना।

(डी) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कार्यक्रमों तथा आयोजनों में सीबीआरआई के विशेषज्ञों तथा सीबीआरआई के अनुसंधान कार्यक्रमों तथा आयोजनों में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संकाय सदस्यों और छात्रों की प्रतिभागिता, दोनों संस्थानों के आपसी करार वा अनुमोदन के आधार पर करना।

(ई) सीबीआरआई तथा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा बाहरी फंडिंग करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान की शुरूआत तथा संयुक्त रूप से परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।

ARTICLE- III: SHARING OF FACILITIES

a) CBRI and RTU shall make provisions to share their respective R&D facilities in order to promote academic and research interaction in the areas of cooperation subject to approvals and availability.

b) CBRI and RTU shall permit the exchange of software and other materials and components developed in-house in the areas of cooperation, if permissible within the rules governing the two institutions.

c) CBRI and RTU shall provide access to the library and extend inter-library loan facilities to scientists of CBRI, members of faculty and students of RTU as per the prevailing rules and norms in the respective institutes.

अनुच्छेद– III: सुविधाओं की साझेदारी

(ए) सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा सहयोग के श्रेत्रों में शैक्षिक और अनुसंधान विचार–विनियम को बढावा देने के क्रम में उनके संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए प्रावधान करना होगा।

(बी) यदि दोनों संस्थाओं के शासी नियमों के अनुसार होगा तो, सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय सॉफ्टवेयर तथा अन्य सामग्रियों तथा घटको और सहयोग के क्षेत्रों मे इन–हाउस विकासित अन्य उपकरणों और सामग्रियों के आदान प्रदान की अनुमति दी जाएगी।

(सी) सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, सीबीआरआई के वैज्ञानिकों, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संकाय सदस्यों तथा छात्रों को सबंधित सस्थानों में प्रचलित नियमों और मानदडों के अनुसार, पुस्तकालय और अतर पुस्तकालय से लोन पर लेने की सुविधाऍ प्रदान की जाएगी।

ARTICLE-IV: CO-ORDINATION OF THE PROGRAM INCLUDING FINANCIAL ARRANGEMENTS

a) The activity under this MoU between CBRI and RTU, Kota shall be coordinated by a coordinator from each organization respectively.

b) Financial arrangements for each specific activity will be decided on case-to case basis as required subject to approval by each organization.

अनुच्छेद–IV: वित्तीय व्यवस्थाओं सहित कार्यक्रम का समन्वयन

(ए) सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अधीन एक्टिविटी को प्रत्येक संगठन से क्रमशः एक–एक समन्व्यक द्वारा समन्वित किया जाएगा।

(बी) प्रत्येक विशिष्ट एक्टिविटी के लिए वितीय व्यवस्था मामले दर मामले की आवश्यकता के आधार पर तथा प्रत्येक संगठन द्वारा अनुमोदन की शर्त पर निर्णय लिया जाएगा।

ARTICLE-V: EFFECTIVE DATE AND DURATION

a) This MoU shall be effective from the date of its signing by competent authorities at both ends.
b) The duration of the MoU shall be 3 years from the effective date.
c) During its tenancy the MoU may be extended or terminated by a prior notice of not less than six months by either party. However, termination of the MoU will not in any manner affect the interests of the students who have been admitted to pursue a program under the MoU, or progress of any ongoing mutual activity that has been initiated formally with approval of both parties.
d) Any clause or article of the MoU may be modified or amended by mutual agreement.

अनुच्छेद–V: सहमति ज्ञापन की प्रभावी तिथि अवधि

(ए) यह सहमति ज्ञापन दोनो सस्थाओं के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इसकी मंजूरी की तारीख से प्रभावी होगा।
(बी) समझौता ज्ञापन की अवधि इसके प्रभावी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी।
(सी) हालाकि, समझौता ज्ञापन की समाप्ति से समझौता ज्ञापन के अधीन दोनो पक्षों के अनुमोदन के साथ औपचारिक रूव ये शुरू किये गए कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों के हितों या चालू पारस्परिक एक्टिविटी की प्रगति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।
(डी) समझौता ज्ञापन का कोई खंड या अनुच्छेद आपसी सहमती से संशोधित किया जा सकता है।

ARTICLE-VI: IPR

Rights regarding publications, patents, royalty, ownership of software/design/product developed etc. under the scope of this MoU shall be equally owned by the two parties

अनुच्छेद–VI : आईपीआर

इस सहमति ज्ञापन के कार्य क्षेत्र के अधीन प्रकाशनों, पेटेंट, रॉयल्टी, सॉफ्टवेयर/डिजाइन/विकसित उत्पाद आदि पर मालिकाना हक दोनो पार्टियों का बराबरी के आधार पर संयुक्त रूप से रहेगा।

ARTICLE-VII: ARBITRATION

Any dispute arising out of this MoU will be resolved amicably by mutual consultation. If such resolution is not possible then the unresolved dispute will be referred jointly to Director,

CBRI and Vice Chancellor, Rajasthan Technical University, Kota. The outcome of the joint decisions of the Director and Registrar shall be binding upon both the parties.

अनुच्छेद– VII : विवाचन

इस समझौता ज्ञापन से उत्पन्न कोई भी विवाद आपसी परामर्श से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा। यदि इन्हे सुलझाया जाना सम्भव न हो तो, अनसुलझे विवाद निदेशक, सीबीआरआई और कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के सुपुर्द कर दिए जाएगा दोनों (निदेशक एवं कुलपति) का सयुंक्त निर्णय दोनो पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

ARTICLE-VIII: CONFIDENTIALITY

During the tenure of the MoU information to be shared must be indicated as "confidential" or "non-confidential" Both CBRI and RTU will maintain strict confidentiality and prevent disclosure of all the information designated as "confidential" except by mutual agreement.

IN WITNESS WHEREOF PARTIES HERE TO HAVE ENTERED INTO THIS AGREEMENT EFFECTIVE AS ON THE DATE AND YEAR FIRST WRITTEN ABOVE.

अनुच्छेद–VIII : गोपनीयता

समझौता ज्ञापना के कार्यकाल के दौरान शेयर की जाने वाली सूचना पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" का अवश्य ही उल्लेख किया जाना चाहिए। सीबीआरआई और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा दोनों सख्ती से गोपनीयता बनाए रखेंगे तथा आपसी करार में अंकित सभी "गोपनीय" सूचना के आपसी सहमति से प्रकटीकरण को रोकेंगे।

दोनो पक्षों ने उपर्युक्त दिन, महीना तथा वर्ष को गवाहों की उपस्थिति में प्रभावी करार में प्रवेश कर लिय है।

किसी प्रकार के वाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ वैध होगा।

28/04/2016 | 28/4/16

Head **Planning & Business Development Group** **CSIR-Central Building Research Institute** **Roorkee**	**Registrar** **Rajasthan Technical University** **Kota**

Witness : (Nadeem Ahmad) Witness : (Dr Praveen Kumar) RTU Kota

Date : 28.4.2016 Date : 28/04/2016